म.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल

आदेश–पत्रिका

विषयः भू–संपदा परियोजना का अन्य सम्प्रवर्तक का अन्तरण

कार्यवाही की तारीख

29-06-2019

विषयांतर्गत भू–संपदा (विनियामक एवं विकास) अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि भू–संपदा परियोजना किसी अन्य पक्षकार को हस्तांतरण की दशा में दो–तिहाई आवंटितियों से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त की जावेगी और इसके पश्चात् प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के पश्चात् ही भू–संपदा परियोजना में सम्प्रवर्तक अन्य पक्षकार को अपना अधिकार और दायित्व अन्तरित कर सकेंगे। ऐसा अन्तरण तत्कालीन सम्प्रवर्तक द्वारा अपार्टमेंट, भूखण्ड या भवन के आवंटन या विक्रय को प्रभावित नहीं करेगा।

प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों का परीक्षण किये जाने हेतु, मार्गदर्शी का निर्धारण किया जाना श्रेयस्कर होगा तथा परियोजना के अंतरण संबंधी आवेदनों का परीक्षण, दो–तिहाई आवंटितियों की सहमति, हस्तांतरण शुल्क के फीस का निर्धारण, आवंटी को परिवर्तन की सूचना इत्यादि उक्त बिन्दुओं पर स्थिति सुस्पष्ट करने के संबंध में प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई जिसका प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष व सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में उपरोक्त विषयों पर लिये गया निर्णय/संकल्प संलग्न है।

कृपया तद्‌नुसार वेबसाईट पर इसे प्रदर्शित कराकर, सर्वसंबंधियों के संज्ञान में लाये जाने का अनुरोध है।

सचिव

तकनीकी सलाह